THE
JHARKHAND GAZETTE
EXTRAORDINARY
PUBLISHED BY AUTHORITY

No. 51 **4 Poush, 1940(S)**

Ranchi, Thursday, 24th January, 2019

COMMERCIAL TAXES DEPARTMENT

Notification

24th January, 2019

Notification No. -24/2018 – State Tax(Rate)

S.O. No. 2 Dated- 24th January, 2019-- In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 9 and sub-section (5) of section 15 of the Jharkhand Goods and Services Tax Act, 2017 (12 of 2017), the Government of Jharkhand, on the recommendations of the Council, hereby makes the following further amendments in the notification of the Government of Jharkhand in the Commercial Taxes Department, No.1/2017-State Tax (Rate), dated the 29th June, 2017, published in the Gazette of Jharkhand, Extraordinary, vide S.O. No. 31, dated the 29th June, 2017, namely:-

In the said notification, -

(A) in the opening paragraph, after the words, brackets and figures "sub-section (1) of section 9", the words, brackets and figures "and sub-section (5) of section 15", shall be inserted;

(B) in Schedule I - 2.5%,

(i) S. Nos. 23,24 and the entries relating thereto, shall be omitted;

(ii) after S. No. 123 and the entries relating thereto, the following serial number and the entries shall be inserted, namely: -

"123A	2515 11 00	Marble and travertine, crude or roughly trimmed";

(iii)S. No. 198A shall be re-numbered as S. No. 198AA, and before S. No. 198AA as so re-numbered, the following serial number and entries shall be inserted, namely:

"198A	4501	Natural Cork, raw or simply prepared";

(iv)in S. No. 224, for the entry in column (2), the entry "63 [other than 6305 32 00, 6309] shall be substituted;

(v) in S. No. 225, for the entry in column (3), the entry "Footwear of sale value not exceeding Rs.1000 per pair" shall be substituted;

(vi)for S. No. 225A and the entries relating thereto, the following serial numbers and the entries shall be substituted, namely: -

"225A	6602 00 00	Walking-Sticks including seat sticks
225B	6815	Fly ash bricks or fly ash aggregate with 90 percent or more fly ash content; Fly ash blocks";

(vii) in S. No. 234, in the entry in column (3), , the following *Explanation* shall be inserted in the end, namely,

"*Explanation:* If the goods specified in this entry are supplied, by a supplier, along with supplies of other goods and services, one of which being a taxable service specified in the entry at S. No. 38 of the Table mentioned in notification No. 11/2017-State Tax (Rate), dated 29th June, 2017 the value of supply of goods for the purposes of this entry shall be deemed as seventy per cent of the gross consideration charged for all such supplies. The remaining thirty per cent of the gross consideration charged shall be deemed as value of the said taxable service";

(viii) S. No. 243A shall be re-numbered as S. No. 243B, and before S. No. 243B as so re-numbered, the following serial number and entries shall be inserted, namely:

"243A	8714 20	Parts and accessories of carriage for disabled persons";

(C) in Schedule II - 6%,

(i) after S. No. 101 and the entries relating thereto, the following serial numbers and the entries shall be inserted, namely: -

"101A	4502 00 00	Natural cork, de backed or roughly squared, or in rectangular (including square) blocks, plates, sheets or strip (including sharp-edged blanks for corks or stoppers)

101B	4503	Articles of natural cork such as Corks and Stoppers, Shuttlecock cork bottom
101C	4504	Agglomerated cork (with or without a binding substance) and articles of agglomerated cork ";

(ii) S. No. 102,126and the entries relating thereto, shall be omitted;

(iii)S. No. 171A shall be re-numbered as S. No. 171AA, and before S. No. 171AA as so re-numbered, the following serial number and entries shall be inserted, namely:-

"171A	63053200	Flexible intermediate bulk containers";

(iv)in S. No. 173, in the entry in column (3), the words and commas "walking-sticks, seat-sticks," shall be omitted;

(v) S. No. 177 and the entries relating thereto, shall be omitted;

(D) in Schedule III - 9%,

(i) S. No. 121A shall be re-numbered as S. No. 121B, and before S. No. 121B as so re-numbered, the following serial number and entries shall be inserted, namely:-

"121A	4012	Retreaded or used pneumatic tyres of rubber; solid or cushion tyres, tyre treads and tyre flaps, of rubber";

(ii) S. Nos. 142, 143, 144 and the entries relating thereto, shall be omitted;

(iii) in S. No. 369A, for the entry in column (3), the entry "Transmission shafts (including cam shafts and crank shafts) and cranks; bearing housings and plain shaft bearings; gears and gearing; ball or roller screws; gear boxes and other speed changers, including torque converters; flywheels and pulleys, including pulley blocks; clutches and shaft couplings (including universal joints)" shall be substituted;

(iv) after S. No. 376AA and the entries relating thereto, the following serial number and entries shall be inserted, namely: -

"376AAA	8507	Lithium-ion accumulators (other than battery) including lithium-ion power bank";

(v) in S. No. 383 in the entry in column (3), after the words "television cameras", the comma and words ",digital cameras and video camera recorders", shall be inserted;

(vi) in S.No. 383C, in the entry in column (3), for the figure and word"68 cm", the figure and word "32 inches" shall be substituted;

(vii) in S.No. 384, in the entry in column (3), for the figure and word"20 inches", the figure and word"32 inches" shall be substituted;

(viii) S. No. 440A shall be re-numbered as S. No. 440B, and before S. No. 440B as so re-numbered, the following serial number and entries shall be inserted, namely:

"440A	9504	Video game consoles and machines, articles of funfair, table or parlour games, including pintables, billiards, special tables for casino games and automatic bowling alley equipment [other than playing cards, ganjifa card, chess board, carom board and other board games of 9504 90 90 like ludo etc.]";

(E) in Schedule IV - 14%,

(i) S. No. 47 and the entries relating thereto, shall be omitted;

(ii) S. No. 135and the entries relating thereto, shall be omitted;

(iii) in S. No. 139, in the entry in column (3), after the words "other than Lithium-ion battery", the words "and other lithium ion accumulators including lithium ion power banks" shall be inserted;

(iv) S. No. 151 and the entries relating thereto, shall be omitted;

(v) in S. No. 154, in the entry in column (3), for the figure and word "20 inches" and the figure and word "68 cm", both, the figure and word "32 inches" shall be substituted;

(vi) for S. No. 174 and the entries relating thereto, the following serial number and the entries shall be substituted, namely: -

"174	8714	Parts and accessories of vehicles of heading 8711";

(vii) S. No. 215 and the entries relating thereto, shall be omitted.

2. This notification shall be deemed to be effective from 01st January, 2019.

[File. No Va Kar / GST / 05/ 2018]
By the order of the Governor of Jharkhand

Prashant Kumar,
Secretary-cum-Commissioner

Note: - The principal notification No.1/2017-State Tax (Rate), dated the 29th June, 2017, published in the Gazette of Jharkhand, Extraordinary, vide S.O. No. 31, dated the 29th June, 2017 and last amended by Notification No. 18/2018-State Tax (Rate) dated 17th August, 2018 published in the Gazette of Jharkhand, Extraordinary, vide S.O. No. 54, dated the 17th August, 2018.

वाणिज्य-कर विभाग

अधिसूचना

24 जनवरी, 2019

अधिसूचना सं0. 24/2018- राज्य कर (दर)

एस. ओ. सं. 2 दिनांक 24 जनवरी, 2019-- झारखण्ड माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 12) की धारा 9 की उप धारा (1) और धारा 15 की उप धारा (5) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए झारखण्ड सरकार, इस परिषद की सिफारिशों के आधार पर, एतद्द्वारा झारखण्ड सरकार के वाणिज्य-कर विभाग की अधिसूचना संख्या 1/2017- राज्य कर (दर) दिनांक 29 जून, 2017, जिसे एस. ओ. सं. 31, दिनांक 29 जून, 2017 के तहत झारखण्ड के राजपत्र, असाधारण में प्रकाशित किया गया था, में निम्नलिखित और आगे भी संशोधन करती है, यथा:-

उक्त अधिसूचना में,-

(क) प्रारंभिक पैराग्राफ में, शब्द, कोष्ठक और अंक"धारा 9 की उप धारा (1)" के पश्चात, कोष्ठक और अंक"और धारा 15 की उप धारा (5)" को अंत:स्थापित किया जाएगा;

(ख) अनुसूची I- 2.5% में,-

(ix)क्रम संख्या 23, 24 और उससे संबंधित प्रविष्टियों को निरसित कर दिया जाएगा;

(x) क्रम संख्या 123 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियों को अंत:स्थापित किया जाएगा,यथा:-

"123क	2515 11 00	मार्बल और ट्रावरटाईन, क्रूड या रफली ट्रिम्ड";

(xi)क्रम संख्या 198क को अब क्रम संख्या 198कक लिखा जाएगा और इस तरह लिखे गए क्रम संख्या 198कक के पहले निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियों को अंत:स्थापित किया जाएगा,यथा:-

"198क	4501	प्राकृतिक कार्क, कच्चा या साधारण रूप से तैयार किया गया";

(xii) क्रम संख्या 224 में, कॉलम (2) की प्रविष्टि के स्थान पर प्रविष्टि "63 [6305 32 00, 6309से भिन्न]"को प्रतिस्थापित किया जाएगा;

(xiii) क्रम संख्या 225 में, कॉलम (3) की प्रविष्टि के स्थान पर प्रविष्टि "फुटवियर जिसका विक्रय मूल्य 1000 रुपए प्रति जोड़ी से अधिक न हो" को प्रतिस्थापित किया जाएगा;

(xiv) क्रम संख्या 225क और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियों को प्रतिस्थापित किया जाएगा, यथा: -

"225क	6602 00 00	वाकिंग स्टीक्स,जिसमें सीट स्टीक्स भी आती है
225ख	6815	फ्लाई ऐश की ईंटें या फ्लाई ऐश जिसमें कुल मिलाकर 90 प्रतिशत या इससे अधिक फ्लाई ऐश हो; फ्लाई ऐश ब्लॉक्स";

(xv) क्रम संख्या 234 में, कॉलम (3) की प्रविष्टि में,अंत में निम्नलिखित स्पष्टीकरण को अंत:स्थापित किया जाएगा; यथा:-

"स्पष्टीकरण : यदि इस प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट किसी वस्तु की किसी आपूर्तिकर्ता के द्वारा आपूर्ति की जाती है और इसके साथ ही अन्य वस्तुओं और सेवाओं की भी आपूर्ति होती है तथा उनमें से एक, जिस पर की अधिसूचना संख्या 11/2017- राज्य कर (दर), दिनांक 29 जून, 2017 में उल्लिखित सारणी में क्रम संख्या 38 की प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट कर वाली सेवाओं में आती हो तो इस प्रविष्टि के उद्देश्य के लिए वस्तुओं की आपूर्ति का मूल्य ऐसी कुल आपूर्ति पर भारित सकल प्रतिफल का 70 प्रतिशत तक माना जाएगा । इस प्रकार भारित सकल प्रतिफल का बाकी 30 प्रतिशत उक्त कर वाली सेवा का मूल्य माना जाएगा ।";

(xvi) क्रम संख्या 243क को अब क्रम संख्या 243ख लिखा जाएगा और इस प्रकार लिखे गए 243ख के पहले निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टि को अंत:स्थापित किया जाएगा, यथा:

"243क	8714 20	दिव्यांग व्यक्तियों के कैरेज के भाग और सहायक उपकरण ";

(ग) अनुसूची II- 6% में,-

(vi) क्रम संख्या 101 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात निम्नलिखित क्रम संख्याएँ और प्रविष्टियों को अंत:स्थापित किया जाएगा; यथा:-

"101क	4502 00 00	प्राकृतिक कार्क, डिबैक्ड या रफली स्क्वयार्ड या आयाताकार (वर्गाकार समेत) ब्लॉक्स, प्लेट्स, शीट्स या स्ट्रीप्स (जिसमें कार्क या स्टापर के तेज किनारे वाले ब्लैंक्स भी आते हैं)
101ख	4503	प्राकृतिक कार्क की वस्तुएं जैसे कार्क और स्टापर्स, शटलकार्क कार्क बॉटम
101ग	4504	पुंजित कार्क (चाहे इसमें जोड़ने वाले पदार्थ लगे हो या नहीं) और पुंजित कार्क की वस्तुएं";

(vii) क्रम संख्या 102,126और उससे संबंधित प्रविष्टियों को निरसित किया जाएगा;

(viii) क्रम संख्या 171क को अब क्रम संख्या 171कक लिखा जाएगा और इस प्रकार लिखे गए क्रम संख्या 171कक के पहले निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियों को अंत:स्थापित किया जाएगा, यथा:-

“171क	63053200	फलैक्सिबल इंटरमिजेड बुल्क कंटेनर”;

(ix)क्रम संख्या 173में,कॉलम (3) की प्रविष्टि में, शब्द और कामा“वाकिंग स्टिक्स, सीट स्टिक्स,”को निरसित किया जाएगा;

(x) क्रम संख्या 177 और उससे संबंधित प्रविष्टियों को निरसित किया जाएगा;

(घ)अनुसूची III - 9%में,-

(ix)क्रम संख्या 121क को अब 121ख लिखा जाएगा और इस प्रकार लिखे गए 121ख के पहले निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियों को अंत:स्थापित किया जाएगा, यथा:-

“121क	4012	रबर के रिट्रीटेड या प्रयोग में लाए गए न्यूमैटिक टायर्स; सॉलिड या कुशन टायर्स, टायर ट्रैड और टायर फ्लैक्स, रबर के”;

(x) क्रम संख्या 142, 143, 144और उससे संबंधित प्रविष्टियों को निरसित किया जाएगा;

(xi) क्रम संख्या 369क में,कॉलम (3) की प्रविष्टि के स्थान पर, “ट्रॉसमिशन शाफ्टस (जिसमें कैम शाफ्टस और क्रैंक शाफ्टस भी शामिल हैं)और क्रैंक्स; बियरिंग हाउसिंगस और प्लेन शाफ्ट बियरिंग्स; गियर्स और गियरिंग, बॉल या रोलर स्क्रू; गियर बाक्स और अन्य स्पीड चेंजर्स जिसमें टार्क कनवर्टर्स भी आते हैं; फ्लाईव्हील्स और पुल्ली, जिसमें पुल्ली बॉलक्स भी आते हैं; क्लचेस और शाफ्ट कपलिंग्स (जिसमें यूनिवर्सल ज्वाइंटस भी आते हैं” को प्रतिस्थापित किया जाएगा;

(xii) क्रम संख्या 376कक और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियों को अंत:स्थापित किया जाएगा, यथा: -

“376ककक	8507	लीथियम-आयन एकुमुलेटर्स (बैट्री से भिन्न), जिसमें लीथियम-आयन पावर बैंक भी आते हैं”,

(xiii) क्रम संख्या 383 में, कॉलम (3) की प्रविष्टि में शब्द “टेलीविजन कैमरे”,के पश्चात कामा और शब्द “,डिजीटल कैमरा और वीडियो कैमरा रिकार्डर”, को अंत:स्थापित किया जाएगा;

(xiv) क्रम संख्या 383ग में,कॉलम (3) की प्रविष्टि में अंक और शब्द“68सेंटीमीटर”,के स्थान पर अंक और शब्द “32इंच” को प्रतिस्थापित किया जाएगा;

(xv) क्रम संख्या 384 में, कॉलम (3) की प्रविष्टि में अंक और शब्द “20इंच”, के स्थान पर अंक और शब्द “32 इंच”को प्रतिस्थापित किया जाएगा;

(xvi) क्रम संख्या 440क को अब क्रम संख्या 440ख लिखा जाएगा और इस प्रकार लिखे गए 440ख के पहले निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियों को अंत:स्थापित किया जाएगा, यथा:

“440क	9504	वीडियो गेम कंसोल्स और मशीनें, फनफेयर की वस्तुएँ, टेबल्स या पार्लर गेम्स, जिसमें पिनटेबल्स, बिलियर्डस, कैसिनो गेम्स की स्पेशल टेबल्स और ऑटोमैटिक बॉलिंग एलेय उपकरण भी आते हैं, जैसी वस्तुएं [प्लेयिंग कार्ड्स, गंजिफा कार्ड्स, चैस बोर्ड, कैरम बोर्ड और 9504 90 90 के बोर्ड जैसे कि लूडो आदि के अन्य बोर्ड गेम्स से भिन्न]”;

(ङ) अनुसूची IV - 14%में,-

(viii) क्रम संख्या 47 और उससे सबंधित प्रविष्टियों को निरसित किया जाएगा;

(ix)क्रम संख्या 135 और उससे सबंधित प्रविष्टियों को निरसित किया जाएगा;

(x) क्रम संख्या 139 में, कॉलम (3) की प्रविष्टि में“लीथियम ऑयन बैट्री”, शब्दों के पश्चात “और अन्य लीथीयम-ऑयन इक्यूमूलेटर जिसमें लीथीयम-ऑयन पावर बैंक भी आते हैं”को अंत:स्थापित किया जाएगा;

(xi)क्रम संख्या 151 और उससे संबंधित प्रविष्टियों को निरसित किया जाएगा;

(xii) क्रम संख्या 154 में कॉलम (3) की प्रविष्टि में अंक और शब्द “20 इंच”और अंक और शब्द “68 सेंटीमीटर”, दोनों के स्थान पर अंक और शब्द “32 इंच” को प्रतिस्थापित किया जाएगा;

(xiii) क्रम संख्या 174 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियों को प्रतिस्थापित किया जाएगा , यथा: -

“174	8714	शीर्ष 8711 में आने वाले वाहनों के हिस्से और सहायक उपकरण”;

(xiv) क्रम संख्या 215 और उससे संबंधित प्रविष्टियों को निरसित किया जाएगा ।

2. यह अधिसूचना 01 जनवरी, 2019 से प्रवृत्त मानी जाएगी।

[सं.सं .वा०कर/जी०एस०टी०/05/2018]
झारखंड राज्यपाल के आदेश से,

प्रशांत कुमार,
सचिव-सह-आयुक्त

नोट: प्रधान अधिसूचना संख्या 1/2017- राज्य कर (दर), दिनांक 29 जून, 2017 को एस. ओ. सं. 31, दिनांक 29 जून, 2017 के तहत झारखण्ड के राजपत्र, असाधारण, में प्रकाशित किया गया था और इसमें अंतिम बार अधिसूचना संख्या 18/2018- राज्य कर (दर), दिनांक 17 अगस्त, 2018 जिसे एस. ओ. सं. 54, दिनांक 17 अगस्त, 2018 के तहत झारखण्ड के राजपत्र, असाधारण, में प्रकाशित किया गया था, के द्वारा संशोधन किया गया है ।

Printed & Published by the Superintendent of Jharkhand Government Press, Doranda, Ranchi.
Jharkhand Gazette (Extraordinary) 51 -- 50.